Corporation water has been finalised.

(b) if so, the rate to be charged per acre ; and

(c) how does it compare with irrigation rates of Bhakra and Hirakud Projects?

The Minister of Planning and Irrigation and Power (Shri Nanda): (a) and (b). The Damodar Valley Corporation will deliver the water to the Bengal Government who in turn will deliver it to the cultivators for use. Whereas the rate for use of water to be charged by the D. V. C. from the Govt. of West Bengal has not yet been fixed, the West Bengal Govt. with the concurrence of the D. V. C. fixed the following rates for the year 1955 as water was available.

Rabbi 54-55	Rs. 10/-per acre
Khariff 55	Rs. 7/12/- per acre

(c) The D. V. C. rate compares favourably with the Bhakra-Nangal rate. No rate has so far been fixed for Hirakud.

MODEL TEST FOR KOSI PROJECT

1159. Shri L. N. Mishra : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the results of model test of Kosi Project carried on in Poona under C.W.P.C's guidance as regards (i) condition of the area lying between the two embankments after embankments are constructed ; and (ii) condition of the area below Thamata and Bangaon, the point where the two Kosi embankments terminate and effect of diversion channels on the areas concerned ; and

(b) by what time the model test is expected to be completed?

The Minister of Planning and Irrigation and Power (Shri Nanda): (a) The experiments are in progress.

(b) The experiments are expected to be completed in the course of the next three months.

DRAFT SECOND PLAN OF ANDHRA STATE

1160. Shri B. S. Murthy : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) the total amount estimated by the Andhra State Government in the Plan they submitted to the Planning Commission ;

(b) the total estimated amount proposed to be granted ; and

(c) the amount granted in the First Five Year Plan and the amount used by the State?

The Minister of Planning and Irrigation and Power (Shri Nanda): (a) Rs. 244·43 crores.

(b) Rs. 118·84 crores.

(c) (i) Magnitude of the First Five Year Plan. Rs. 69·42 crores.

(ii) Expenditure incurred

(1951-54 actuals,
1954-55 revised and
1955-56 budget)
Rs. 64.32 crores.

INDIAN TEMPLE IN AZERBAIJAN

1161. Shri Siddananjappa : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Soviet Scientists have discovered an Indian Temple in a forest near Bak, capital of Azerbaijan ; and

(b) if so, whether the details of the temple have been found out by the Government of India ?

The Prime Minister and Minister of External Affairs (Shri Jawaharlal Nehru): (a) and (b). We have no information about this matter. We are however making enquiries.

गंगानगर जिले में मुसलमान

११६२. श्री पी० एल० बारूपाल : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे मुसलमानों की जमीन और जायदाद पर किसका अधिकार होगा, जो

१९४७ के बाद पाकिस्तान चले गये थे और १९४९ में भारत वापस आ गये तथा सामान्य निर्वाचनों के पूर्व बिना पारपत्रों के पाकिस्तान लौट गये (क्योंकि वे भारत में मतदान नहीं करना चाहते थे) और वे बाद को फिर भारत लौट आये;

(ख) क्या यह सच है कि गंगागनर जिले के कीकरवाली नोहा, डबली राठान, पीर कामड़ीया, चक खैरूवाला, सूरेवाला, वसीर आदि गांवों में ऐसे बहुत से मुसलमान हैं, जो कई बार पुलिस द्वारा पाकिस्तान पहुंचाये गये और फिर वे भारत के सरकारी कर्मचारियों से किसी प्रकार सांठ-गांठ करके अपनी जमीनों व जायदादों पर कब्जा करने के लिये भारत वापिस आ गये हैं; और

(ग) क्या उक्त गांवों के इन मुसलमानों की जमीनें शरणार्थियों को दे दी गई थीं, किन्तु इनके वापस आ जाने पर शरणार्थियों को जमीनों से बेदखल कर दिया गया ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) यदि उक्त व्यक्ति एवेक्वी (निष्क्रमणार्थी) घोषित कर दिये गये थे तो उनकी जायदादों पर कस्टोडियन आफ एकेवी प्रोपर्टी (निष्क्राम्य सम्पत्ति आमिरक्षक) का अधिकार होगा । किसी व्यक्ति को एवेक्वी घोषित करने की विभिन्न अवस्थाओं का उल्लेख एवेक्वी प्रापर्टी ला में किया गया है । यह बताना सम्भव नहीं है कि उक्त व्यक्तियों को एवेक्वी घोषित किया गया था या नहीं । आखिरी तौर पर एवेक्वी घोषित किये गये व्यक्तियों की जायदाद डिसप्लेसड परसन्स कम्पेनसेशन ऐन्ड रिहैलिलटेशन ऐक्ट (विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास अधिनियम) के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने अपने अधीन कर ली है ।

(ख) सरकार के पास यह जानकारी नहीं है । निष्क्राम्य सम्पत्ति घोषित की गयी जायदादों के मालिक यदि भारत वापिस आ गये थे, या यह प्रमाणित होने पर कि वे पाकिस्तान नहीं गये थे कुछ विशेष परिस्थितियों में एवेक्वी प्रापर्टी एक्ट के अनुसार अपनी जायदादों की वापसी के लिये प्रार्थना-पत्र दे सकते थे । क्या गंगानगर में इस प्रकार के मामले हुये हैं, पूछताछ की जायगी ।

(ग) एवेक्वी प्रापर्टी एक्ट की धारा १६ के आधीन भूमि के बारे में सर्टीफिकेट प्रदान करने का निर्णय करते समय इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि उस भूमि पर बसे हुए शरणार्थियों को अनावश्यक रूप से हटाया न जाये । यह मालूम नहीं है कि उक्त गांवों में धारा १६ के आधीन जायदाद के वापिस दिलाने से या अनुचित तौर से जमीनों को लौटाने के कारण शरणार्थियों को अपनी जमीनों से बेदखल किया गया है । परन्तु इस मामले की जांच की जायेगी ।

गंगानगर जिले में विस्थापित व्यक्ति

११६३. श्री पी० एल० बारूपाल : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिला गंगानगर में शरणार्थियों को जो भूमि आवण्टित की गयी थी वह जमीन पाकिस्तान से वापस आये मुसलमानों को लौटा दी गयी है, परन्तु जिला गंगानगर के सेटलमेंट अधिकारी जमीनों की किस्तों के रुपये उन गरीब शरणार्थियों से मांग रहे हैं, जिनकी जमीन छीन कर पाकिस्तान से बिना पारपत्र आये हुये मुसलमानों को दे दी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो शरणार्थियों को जमीन देने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) तथा (ख). जिला नगर में एक दो मामलों में शरणार्थियों को दी गयी भूमि को कस्टोडियन आफ एवेक्वी प्रापर्टी (निष्क्राम्य सम्पत्ति अभिरक्षक) राजस्थान ने गैर निष्क्राम्य करार दिया । कस्टोडियन के आदेशों का पता न होने के कारण स्थानीय सेटलमेन्ट आफिसर ने इन शरणार्थियों के नाम उनकी जमीनों के मूल्य सम्बन्धी किश्तों की अदायगी के लिये नोटिस जारी किये । परन्तु इन नोटिसों को लागू नहीं किया गया । इन शरणार्थियों के अपील करने पर कस्टोडियन जनरल आफ एवेक्वी प्रापर्टी ने यह मामला स्थानीय कस्टोडियन को और अधिक जांच के लिये भेजा है । यह मामला अब कस्टोडियन के विचाराधीन है । जब तक कि निष्क्राम्य सम्पत्ति सम्बन्धी कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती, इन शरणार्थियों को अपनी जमीनों के बदले दूसरी जमीन देने का प्रश्न नहीं उठता ।

COMMUNITY PROJECTS IN UTTAR PRADESH

1164. Shri Reghubir Sahai: Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether his attention has been